

दिनांक 20/10/20 को कोषिड 19
 पशुमाली के कारण आज्ञा वापस होने के कारण
 में कार्यवाही नहीं की जायेगी।
 P.C. नं. .../अप. ...
 वापस होने के कारण अंतिम कार्यवाही हेतु
 पत्रावली दिनांक 19/11/20 को पेश हो।

19/11/20

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उपस्थित।
 मूल वाद में प्रयाचीकरण सं. 1 का 28वां
 एक वकील कोषिड समल में जारी किया गया
 है पत्रावली वापस करके 19 दिनांक
 20/11/20 को पेश हो।

2/12/20

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उपस्थित।
 कार्यवाही करने के कारण ...
 की जायेगी। पत्रावली दिनांक 19/11/20
 को पेश हो।

4/12/20

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उपस्थित।
 वकील पक्षी को अर्थात् पर अपील निवेदन
 आज्ञा पर एक पक्षी करके सुनी गई। पत्रावली
 को अवलोकित रहे वकील पक्षी द्वारा उक्त पक्षी
 पर पर की गई अंतिम परामर्श करते दे पत्रावली
 को उक्त प्रति सं. नं. 4/1 से 4/2 तथा 4/4 से
 4/5 कुल चार पत्रावली एकल 6.05.20 के पत्रावली
 निवेदन प्राप्त की गई। तदनुसार कार्यवाही जारी रखी।
 के तब से न्यायालय द्वारा दिनांक 9.7.2020 को
 जारी किया आदेशों के वाद के निर्णय तक वकील पक्षी
 निवेदन जारी है तथा उक्त पक्षी को निकले अपील
 निवेदन से जाकर विवादा जाता है कि वे उक्त वाद
 उक्त प्रति को वाद के निर्णय में के एवं दिनांक
 को पत्रावली निवेदन करते रहे। पत्रावली कोषिड मुआ
 कोषिड मूल वाद के साथ समाप्त हो।

आप्त दिनांक 4/12/20 को परदि निर्णय (दिले)
 न्यायालय में प्रयाचीकरण ...

